तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री गिरीराज पुत्र श्री दीनदयाल जागिंड (इन्चार्ज) निवासी– एम.सी.सी. इण्डिया डेयरी फुड प्रोडक्टस ढाल्यावास रोड़ श्रीमाधोपुर सीकर, मैसर्स– इण्डिया डेयरी फुड प्रोडक्टस ढाल्यावास रोड़ श्रीमाधोपुर सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.08.2016 को समय 12:15 पी.एम. पर सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स इण्डिया डेयरी फुड प्रोडक्टस, में अप्रार्थी श्री गिरीराज मिक्स दुध का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। अप्रार्थी से वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने बताया मेरा खाद्य अनुज्ञा पत्र बना हुआ है। फर्म पर श्री गिरीराज द्वारा मिक्स दुध का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध मिक्स दुध के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 2 लिटर मिक्स दुध खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 66 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया। प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–510 खाद्य पदार्थ मिक्स दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ मिक्स दुध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा [illegible] के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये [illegible] जमा क[illegible] जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि [illegible] जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के [illegible] के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाये[illegible] आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner